भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 4031

उत्तर देने की तारीख: 17.03.2026

हाथ से मैला ढोने वालों के नियोजन का प्रतिषेध

4031. सुश्री इकरा चौधरी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवीनतम राष्ट्रीय सर्वेक्षण में दर्ज किए गए स्वच्छता कर्मियों और हाथ से मैला ढोने वालों, जिन्हें अभी तक हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पुनर्वास संबंधी संपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हुए हैं, की राज्य-वार और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 2017 से सीवर और सेप्टिक टैंक के कारण दर्ज की गई मौतों की संख्या कितनी है और प्रभावित परिवारों को वास्तव में संवितरित किए गए मुआवजे का राज्य-वार और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के लिए जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) मशीनीकरण के अधिदेश का उल्लंघन करने वाले ठेकेदारों या नागरिक निकायों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) मजदूरी के भुगतान नहीं किए जाने, सुरक्षा उपकरणों से वंचित किए जाने और जाति आधारित भेदभाव के संबंध में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतों की राज्य-वार और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के लिए जिला-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे जाति आधारित पेशे को समाप्त करने और सफाई कर्मचारियों के परिवारों के लिए वैकल्पिक आजीविका, आवास, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों (एसएसडब्ल्यू) की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना (नमस्ते) शुरू की गई है। तत्कालीन 'हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार योजना' (एसआरएमएस) के घटकों को नमस्ते योजना में शामिल कर लिया गया है। वर्ष 2024-25 में, नमस्ते योजना के तहत कचरा बीनने वालों (डब्ल्यूपी) को भी लाभार्थी के रूप में जोड़ा गया है। 12 मार्च, 2026 तक, नमस्ते योजना के तहत 89,248 एसएसडब्ल्यू और 2,34,425 कचरा बीनने वालों का सत्यापन किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में, 12,424 एसएसडब्ल्यू और 35,641 कचरा बीनने वालों का सत्यापन किया गया है।

"हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के अनुसार, देश के सभी ज़िलों में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का एक नया सर्वेक्षण किया गया है, जिसके तहत कोई भी हाथ से मैला उठाने वाला नहीं पाया गया है। तथापि, 2013 और 2018 में किए गए दो सर्वेक्षणों के दौरान 58,098 हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों को चिन्हित किया गया था, जिनमें उत्तर प्रदेश के 32,473 लोग शामिल हैं। चिन्हित सभी हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों और उनके आश्रितों का पुनर्वास, प्रत्येक को 40,000 रुपये की एकमुश्त नकद सहायता (ओटीसीए) प्रदान करके किया गया है। इसके अलावा, 27,928 हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों और उनके आश्रितों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिसके दौरान उन्हें प्रशिक्षण अवधि में 3,000 रुपये प्रति माह की दर से वज़ीफ़ा भी दिया गया। 2,679 हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों और उनके आश्रितों को वैकल्पिक स्वरोज़गार परियोजनाएं शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये तक की अग्रिम पूंजीगत सब्सिडी भी प्रदान की गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-1** में दिए गए हैं।

(ख): राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 2017 से अब तक सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई के कारण जान गंवाने वाले सफाई कर्मचारियों का राज्य-वार विवरण और पीड़ित परिवारों को वितरित की गई मुआवज़े की राशि **अनुलग्नक-II** में दी गई है। उत्तर प्रदेश में सीवर और सेप्टिक टैंकों से जुड़ी मौतों और पीड़ित परिवारों को दिए गए मुआवज़े का ज़िला-वार विवरण **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

(ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत स्वच्छता राज्य का विषय है। मशीनीकरण से संबंधित एसओपी/दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए ठेकेदारों या नागरिक निकायों के खिलाफ की गई कार्रवाई का डेटा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(घ): एनसीएसके की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वेतन का भुगतान न होने, सुरक्षा उपकरणों से वंचित रखने और जाति-आधारित भेदभाव के संबंध में कुल 842 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश की 130 शिकायतें शामिल हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विस्तृत विवरण **अनुलग्नक-IV** में दिया गया है।

(ङ): सफ़ाई का काम व्यवसाय आधारित होता है न कि जाति आधारित। नमस्ते योजना के तहत सफ़ाई कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाने और उनके पूर्ण पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदम इस प्रकार हैं:-

i. एसएसडब्ल्यू और कचरा बीनने वालों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट उपलब्ध कराना।
ii. एसएसडब्ल्यू और कचरा बीनने वालों को व्यवसाय सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना।
iii. चिन्हित हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना।
iv. बड़े शहरी स्थानीय निकायों में आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाइयों (ईआरएसयू) के लिए सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना।
v. स्वच्छता कर्मचारियों, उनके अधिकतम पांच व्यक्तियों के समूहों और प्राइवेट स्वच्छता सेवा ऑपरेटरों (पीएसएसओ) को स्वच्छता संबंधी मशीनरी के लिए अग्रिम पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करना।
vi. सीवर और सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई की रोकथाम पर कार्यशालाएं आयोजित करना।

vii. अस्वच्छ पेशे में लगे लोगों के बच्चों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति देना।

viii. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राज्य स्वास्थ्य योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज देना।

अनुलग्नक-I

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4031, जिसका उत्तर दिनांक 17.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) में संदर्भित अनुलग्नक-I

चिन्हित हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों को प्रदान किए गए लाभों का राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य	चिन्हित हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की कुल संख्या	एकमुश्त नकद सहायता	कौशल विकास प्रशिक्षण	सामान्य परियोजनाओं के लिए पूंजीगत सब्सिडी
1	आंध्र प्रदेश	1793	1793	252	-
2	असम	3921	3921	658	10
3	बिहार	131	131	18	-
4	छत्तीसगढ	3	3	-	-
5	गुजरात	105	105	19	-
6	झारखंड	192	192	34	-
7	कर्नाटक	2927	2927	666	861
8	केरल	518	518	326	-
9	मध्य प्रदेश	510	510	243	-
10	महाराष्ट्र	6325	6325	1904	65
11	ओडिशा	230	230	66	83
12	पंजाब	231	231	62	46
13	राजस्थान	2673	2673	2174	19
14	तमिलनाडु	398	398	29	78
15	उत्तर प्रदेश	32473	32473	18289	879
16	उत्तराखंड	4988	4988	2941	96
17	पश्चिम बंगाल	680	680	247	542
कुल		**58098**	**58098**	**27928**	**2679**

अनुलग्नक-II

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4031, जिसका उत्तर दिनांक 17.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (ख) में संदर्भित अनुलग्नक-II

2017 से अब तक, सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई के कारण अपनी जान गंवाने वाले सफाई कर्मचारियों का राज्य-वार विवरण और पीड़ित परिवारों को वितरित किया गया मुआवज़ा इस प्रकार है:

क्र. सं.	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मौतों की संख्या	भुगतान किया गया पूर्ण मुआवज़ा	भुगतान किया गया आंशिक मुआवज़ा	कोई मुआवज़ा नहीं दिया गया	बंद मामला
1	बिहार	4	4	-	-	-
2	चंडीगढ़	3	3	-	-	-
3	छत्तीसगढ	5	5	-	-	-
4	दादरा और नगर हवेली	3	3	-	-	-
5	दिल्ली	62	53	-	9	-
6	गोवा	1	-	1	-	
7	गुजरात	73	70		2	1
8	हरियाणा	76	55	8	12	1
9	झारखंड	1	1	-	-	-
10	कर्नाटक	28	27	-	1	-
11	केरल	1	1	-	-	-
12	मध्य प्रदेश	14	11	1	2	-
13	महाराष्ट्र	82	68	5	9	-
14	ओडिशा	2	2	1	-	-
15	पंजाब	25	24	-	-	-
16	राजस्थान	37	34	3	-	-
17	तमिलनाडु	77	74	-	2	1
18	तेलंगाना	14	12	1	1	-
19	उत्तर प्रदेश	86	68	2	13	3
20	उत्तराखंड	3	3	-	-	-
21	पश्चिम बंगाल	25	21	3	1	-
कुल		**622**	**539**	**25**	**52**	**6**

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4031, जिसका उत्तर दिनांक 17.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (ख) में संदर्भित अनुलग्नक-III

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 से सीवर और सेप्टिक टैंकों में हुई मौतों तथा पीड़ित परिवारों को दिए गए मुआवज़े का ज़िलावार विवरण निम्नलिखित है:

क्र. सं.	ज़िले का नाम	मौतों की संख्या	भुगतान किया गया पूर्ण मुआवज़ा	भुगतान किया गया आंशिक मुआवज़ा	कोई मुआवज़ा नहीं दिया गया	बंद मामला
1	आगरा	5	3	1	1	-
2	अंबेडकरनगर	2	-	-	2	-
3	चंदौली	4	-	-	4	-
4	गौतमबुद्धनगर	16	8	-	6	2
5	गाजियाबाद	18	18	-	-	-
6	गाजीपुर	2	2	-	-	-
7	जालोन	1	1	-	-	-
8	कानपुर	6	6	-	-	-
9	पीलीभीत	1	1	-	-	-
10	लखनऊ	9	8	-	-	1
11	मथुरा	4	4	-	-	-
12	रायबरेली	2	2	-	-	-
13	सीतापुर	6	6	-	-	-
14	सुल्तानपुर	1	1	-	-	-
15	साहिबाबाद	2	2	-	-	-
16	वाराणसी	7	6	1	-	-
कुल		**86**	**68**	**2**	**13**	**3**

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4031, जिसका उत्तर दिनांक 17.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (घ) में संदर्भित अनुलग्नक-IV

2025 के दौरान एनसीएसके को प्राप्त शिकायतों की संख्या इस प्रकार है:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल शिकायतों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	30
2	असम	10
3	बिहार	27
4	चंडीगढ़	30
5	छत्तीसगढ	25
6	दिल्ली	140
7	गोवा	2
8	गुजरात	28
9	हरियाणा	22
10	हिमाचल प्रदेश	17
11	झारखंड	15
12	कर्नाटक	10
13	केरल	1
14	महाराष्ट्र	95
15	मध्य प्रदेश	30
16	ओडिशा	17
17	पुदुचेरी	11
18	पंजाब	25
19	राजस्थान	45
20	तमिलनाडु	41
21	तेलंगाना	33
22	उत्तराखंड	18
23	उत्तर प्रदेश	130
24	पश्चिम बंगाल	40
कुल		**842**
